

### असाधारण EXTRAORDINARY

# भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜੰ. 2171] No. 2171] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 2014/आश्विन 28, 1936

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2014/ASVINA 28, 1936

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2721(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, राष्ट्रीय व्याध्न संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक 3 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	श्री राजीव प्रताप रूडी संसद सदस्य (लोक सभा)	-सदस्य वह 20 सितंबर, 2015 तक या उनके लोक सभा के सदस्य न रहने तक,
200	प्री नगेन्द्र सिंह संसद सदस्य (लोक सभा)	इनमें जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे। -सदस्य वह 20 सितंबर, 2015 तक या उनके लोक सभा के सदस्य न रहने तक, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. 15-25/2009/एन.टी.सी.ए.]

डॉ. राजेश गोपाल, अपर वन महानिदेशक (व्याध परियोजना)

टिप्पण : राष्ट्रीय व्याध संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए, अर्थात :—

- 1. का.आ. 1889(अ), तारीख 2 नवंबर, 2006
- 2. का.आ. 981(अ), तारीख 13 जून, 2007
- सं. 15--25 / 2009-एन.अी.सी.ए., भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 सितंबर, 2009 में प्रकाशित:
- 4. सं. 15–25 / 2009–एन.औ.सी.ए., भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 17 सितंबर, 2010 में प्रकाशित;
- का.आ. 1440(अ), तारीख 21 जून, 2011

4199 GI/2014

- का.आ. 2276(अ), तारीख 21 सितंबर, 2012, और
- का.आ. 495(अ), तारीख 25 फरवरी, 2013

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMAT CHANGE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2014

S.O. 2721(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 38L of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following members to the National Tiger Conservation Authority for the period specified against their names with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S. O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely:—

In the said notification, for serial numbers 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"3	Shri Rajiv Pratap Rudy	-Member
4	Member of Parliament (Lok Sabha)	He shall hold office up to 20th September, 2015 or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier.
	Shri Nagendra Singh	-Member
	Member of Parliament (Lok Sabha)	He shall hold office up to 20th September, 2015 or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier."

[F. No. 15-25/2009-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Addl. Director General of Forests (Project Tiger)

- Note: The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S. O. 1403(E), dated the 4th September, 2006 and subsequently amended as follows:—
- S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006
- S.O. 981(E), dated the 13th June, 2007
- No. 15-25/2009-NTCA—Published in the Gazette of India Extraordinary, Part III-Section 4 dated the 4th September, 2009;
- No. 15-25/2000-NTCA—Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4 dated the 17th September, 2010;
- 5. S.O. 1440(E), dated the 21st June, 2011
- S.O. 2276(E), dated the 21st September, 2012; and
- S.O. 495(E), dated the 25th February, 2013